

भारत सरकार  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 206  
उत्तर देने की तारीख 3 अगस्त, 2026  
सोमवार, 12 श्रावण, 1948 (शक)

**अनकापल्ली में उद्योग से जुड़े कौशल विकास केंद्र की स्थापना**

†\*206. डॉ. सी. एम. रमेश:

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम-अनकापल्ली औद्योगिक क्षेत्र की जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनकापल्ली में उद्योग से जुड़े कौशल विकास केंद्र की स्थापना करने का है;
- (ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रों (सेक्टरों) का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त केंद्र के माध्यम से प्रतिवर्ष कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है; और
- (घ) प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के साथ प्रस्तावित नियोजन तंत्र क्या है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री जयन्त चौधरी)

- (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा “अनकापल्ली में उद्योग से जुड़े कौशल विकास केंद्र की स्थापना” के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*206 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन स्कीम (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) जैसे विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा देश भर में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम-अनकापल्ली उद्योग क्षेत्र सहित, समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशलीकरण तथा कौशलान्तरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

कौशल विकास प्रशिक्षण अनकापल्ली तथा विशाखापट्टनम जिलों में वर्तमान प्रशिक्षण इकोसिस्टम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसमें सरकारी संस्थाएं, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) से संबद्ध संस्थाएं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम), क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) तथा अन्य प्रशिक्षण भागीदार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की स्कीमें मांग-आधारित हैं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रत्यायन/संबद्धता कौशल अंतराल को ध्यान में रखते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत अनकापल्ली- विशाखापट्टनम क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में, अनकापल्ली- विशाखापट्टनम क्षेत्र में 68 प्रशिक्षण केंद्र (जिनमें 2 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी शामिल हैं) पैलबद्ध हैं। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आनेवाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों में लाइफ साइंस, आईटी/आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, ऑटोमोटिव, पूंजीगत वस्तुएं, हाइड्रोकार्बन, विद्युत, ग्रीन जॉब्स, नलसाजी, परिधान, स्वास्थ्य सेवाचर्या, पर्यटन एवं आतिथ्य, इंडुमेंटेशन ऑटोमेशन सर्विलांस एवं संचार (आईएससी) तथा प्रबंधन शामिल हैं।

एनएपीएस के अंतर्गत अलग उद्योग-संबद्ध कौशल विकास केंद्र स्थापित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठान अपने उपस्थित कार्यस्थल अवसंरचना तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करते हुए शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्तमान में अनकापल्ली- विशाखापट्टनम क्षेत्र में कार्यरत 292 प्रतिष्ठानों द्वारा 15,142 शिक्षुओं को नियोजित किया गया है। एनएपीएस के अंतर्गत निर्धारित ट्रेडों तथा वैकल्पिक ट्रेडों, दोनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षुता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुओं को खुदरा व्यापार, लाइफ साइंस, आईटी/आईटीईएस, उत्पादन एवं विनिर्माण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित विद्युत,

ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, पर्यटन एवं आतिथ्य, फैब्रिकेशन, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिकी, लोजिस्टिक्स, बीएफएसआई, विद्युत, कृषि, फर्नीचर एवं फिटिंग, रबड़, समुद्री तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में नियोजित किया गया है।

जेएसएस स्कीम के अंतर्गत लेवल 2 से लेवल 4 तक 24 विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप 83 जॉब रोल्ल्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों में परिधान, निर्मित वस्त्र एवं होम फर्निशिंग, सौंदर्य एवं वेलनेस, ऑटोमोटिव, पूंजीगत वस्तुएँ, हस्तशिल्प एवं कालीन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, घरेलू कामगार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं हार्डवेयर, नलसाजी आदि शामिल हैं। वर्तमान में विशाखापट्टनम जिले में एक जन शिक्षण संस्थान कार्यरत है।

सीटीएस के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप 170 ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित है। प्रशिक्षण की अवधि छह माह, एक वर्ष तथा दो वर्ष है। सीटीएस के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि प्रशिक्षुओं को संबंधित ट्रेडों में आवश्यक आधारभूत कौशल एवं ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे वे वेतन रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बन सकें। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कुल 520 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित हैं, जिनमें 85 सरकारी तथा 435 निजी आईटीआई हैं।

उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशलीकरण एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन (पीएम-सेतु) स्कीम का उद्देश्य देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता तथा उसकी प्रासंगिकता को सुदृढ़ बनाना है। इस स्कीम का कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹30,000 करोड़, राज्य सरकारों का हिस्सा ₹20,000 करोड़ तथा उद्योग का हिस्सा ₹10,000 करोड़ है। यह स्कीम निम्नलिखित दो घटकों से मिलकर बनी है:

i. **घटक-I** - हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (200 हब आईटीआई तथा 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन। इस उन्नयन में स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों का विकास शामिल है।

i. **घटक-II** - भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर तथा लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि। इसके अंतर्गत कौशल विकास हेतु क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, वैश्विक साझेदारी के माध्यम से प्रशिक्षकों का उन्नत प्रशिक्षण तथा पाठ्यचर्या का विकास शामिल है।

उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशलीकरण एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन (पीएम-सेतु) स्कीम का कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता में सुधार के उद्देश्य से किया जा रहा है। राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) ने प्रमुख उद्योग भागीदारों (एआईपी) द्वारा प्रस्तुत छह (6) कार्यनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) को अनुमोदित किया है, जिनमें तेलंगाना की तीन, ओडिशा की एक, गुजरात की एक तथा आंध्र प्रदेश की एक योजना सम्मिलित है।

अनुमोदित विशाखापट्टनम क्लस्टर में एक (1) हब आईटीआई तथा तीन (3) स्पोक आईटीआई सम्मिलित हैं। इस क्लस्टर के लिए आर्सेलरमितल निप्पॉन स्टील (एएम/एनएस इंडिया) को एंकर उद्योग भागीदार (एआईपी) के रूप में चयनित किया गया है। अनुमोदित कार्यनीतिक कार्यान्वयन योजना (एसआईपी) के अनुसार, प्रमुख फोकस क्षेत्रों में इस्पात एवं अभियांत्रिकी, फेरो मिश्रधातु एवं धातु, उन्नत विनिर्माण, स्वचालन एवं उद्योग 4.0, विद्युत वाहन (ईवी), नवीकरणीय ऊर्जा, पोत निर्माण एवं समुद्री अभियांत्रिकी, पेट्रोरसायन, लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला, सूचना प्रौद्योगिकी/डेटा केंद्र तथा स्वास्थ्य सेवाचर्या शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में स्वीकृत क्लस्टरों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| राज्य का नाम | क्लस्टर का नाम       | हब आईटीआई                 | स्पोक आईटीआई                                                                       |
|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम क्लस्टर | सरकारी आईटीआई, कांचरपालेम | सरकारी आईटीआई (महिला), विशाखापट्टनम, सरकारी आईटीआई, बोबिली सरकारी आईटीआई, नरसीपटनम |

स्कीम के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन एवं निगरानी करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में सभी 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति (एसएससी) का गठन कर लिया है। इनमें से 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उद्योगों से अभिरुचि आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव जारी कर दिए हैं। इस स्कीम का कार्यान्वयन पाँच (5) वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से किए जाने का प्रस्ताव है।

विशाखापट्टनम-अनकापल्ली उद्योग क्षेत्र सहित देश में प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:

- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करती है।
- एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय

- वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।
- iii. संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करती हैं।
  - iv. एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई के छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  - v. पीएमकेवीवाई के तहत, नए युग/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोलर्स को विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषकर एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
  - vi. डीजीटी ने सीटीएस के तहत नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
  - vii. राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग से संबंध सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।
  - viii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यापक एकीकरण तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के मध्य निर्बाध गतिशीलता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से विकसित एप्रेंटिशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) के अंतर्गत उपाधि एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की रोजगारपरकता को बढ़ावा देता है, परिणाम-आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करता है, उद्योग एवं शिक्षण संस्थानों के मध्य सहयोग को सुदृढ़ बनाता है तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल अर्जित करने में सहायक होता है।
  - ix. कौशल मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है।